न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2023-50 Ju2023-27 Ramikanwar etc Vs Karansingh etc

01. रामी कंवर पुत्री मेगाराम जाति दरोगा, निवासी- तातवास, तहसील व जिला नागौर।
02. उदयसिंह पुत्र सुरतसिंह
03. बच्चनसिंह पुत्र सुरतसिंह, जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम रिड़मलसर, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. करणसिंह पुत्र सिमरथसिंह जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण- ग्राम खारिया, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

प्रफोंमा पक्षकार

02. धापु कंवर पत्नी सिमरथसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी- ग्राम खारिया, तहसील आउ, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आउ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट दिनांक 11 नवंबर 2022 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 201/2022 करणसिंह बनाम रामी कंवर इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2023

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 201/2022 करणसिंह बनाम रामी कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 नवंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 24 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 330 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नं. 331 रकबा 6.1836 हैक्टेयर ग्राम खारिया तहसील आउ के संबंध में अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को सुनकर दिनांक 11 नवंबर 2022 को रेस्पो./प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गयी है। अपीलार्थीगण रेकर्डेड सहखातेदार है। कानूनन रेकर्डेड सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की जा सकती। वादी प्रत्यर्थी संख्या एक का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज है। इस कारण वह 1/4 हिस्से से अधिक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन मुश्तहक ही नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय में मूलवाद का जवाबदावा पेश कर दिया तथा धारा 212 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर दिया। आदेश 39 के अनुसार एकतरफा अस्थाई निषेधाधा का 30 दिवस के अंदर निस्तारण करना आवश्यक है। अपीलार्थीगण द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 09.12.2022 को धारा 212 का प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर दिया तथा बहस का निवेदन किया, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे यथावत रखने के दुराश्य से बहस नहीं की गयी एवं पंत्रावली में आगे तारीख पेशी मुकर्रर कर दी, जबकि आदेश 39 के अनुसार जवाब आने के उपरांत धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक था। अपीलार्थीगण रेकर्डेड सहखातेदार है। कानूनन रेकर्डेड सहखातेदार के विरुद्ध एक खातेदार संपूर्ण रकबे में अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्यर्थी संख्या एक केवल 1/4 हिस्से के खातेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये ग्राम खारिया के खसरा नं. 330 एवं खसरा नं. 331 के संपूर्ण रकबे में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये, जिससे अपीलार्थीगण को अपार नुकसान हो रहा है। अपीलार्थीगण बंटवाडा कराने क लिए तैयार है तथा जवाबदावा पेश कर दिया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट्स के कथन है कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा आज दिन तक धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया। तब अपीलार्थीगण ने दिनांक 16.01.2023 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24 जनवरी 2023 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाकर अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 नवंबर 2022 को अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को सुनकर वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की आड़ में वादग्रस्त भूमि का आगे बेचान कर दिया है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 330 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नं. 331 रकबा 6.1836 हैक्टेयर ग्राम खारिया तहसील आउ के रेकर्डेड सहखातेदार है जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड सहखातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये संपूर्ण वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या एक का उज्र है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी का आगे बेचान किया जा चुका है, रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपनां जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्ष की समुचित कार अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 नवंबर 2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दो माह की अवधि में निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01 मार्च 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.02.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर